(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1646–एक/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–11–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 546/2002–03/अपील.

1– महेन्द्र कुमार पिता सोहनलाल
2– शैलेन्द्र कुमार पिता सोहनलाल
3– श्रीमती इन्द्रा गर्ग पति नरेन्द्र गर्ग
4– राधेश्याम पिता मोहनलाल
5– ओमप्रकाश पिता मोहनलाल
निवासीगण मंदसौर (एच.यू.एफ.)
6– जगदीशचन्द्र पिता देवीलाल
निवासी नीमच .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– ओमप्रकाश पिता सोहनलाल
3– राधेश्याम पिता सोहनलाल
निवासीगण नाकोडा नगर मंदसौर .....प्रत्यर्थीगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/04/16 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा किटियानी मंदसौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 231/3 क्षेत्रफल 80 आरे रूपये 3,03,000/– में कय

की जाकर दस्तावेज पंजीकृत कराया गया । तत्पश्चात महालेखाकार, ग्वालियर के आडिट दल द्वारा आपत्ति लिये जाने पर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, मंदसौर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 141/बी–105/47–क(3)/01–02 दर्ज कर दिनांक 22–7–2003 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 5,85,960/– निर्धारित कर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क रूपये 15,090/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–11–2004 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि आडिट दल की आपत्ति पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 47(2) के अंतर्गत उप पंजीयक का प्रतिवेदन एवं भूमि के मूल्य संबंधी सूची केवल अभिकथन है, और उनके आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विक्रय मूल्य प्रमाणित करने का भार कलेक्टर आफ स्टाम्प पर था, जिसे प्रमाणित नहीं किया गया है । उनके द्वारा अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति व्यवसायिक उपयोग की है, और बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए मुद्रांक शुल्क निर्धारण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, और अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर आफ स्टाम्प के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–11–2004 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर